

माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. // 2017 निगरानी

12/29-11-17

- 1 जितेन्द्र जैन पुत्र श्री सुआलाल जैन
- 2 श्रीमति मीना जैन पत्नी जितेन्द्र जैन  
निवासीगण- खारा कुआँ टेकरी  
शिवपुरी म० प्र० द्वारा मुख्यारआम  
शिखरचंद्र जैन पुत्र सुआलाल जैन  
निवासी खारा कुआँ टेकरी शिवपुरी

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- 1 म० प्र० शासन द्वारा अधीक्षक  
भू अभिलेख शिवपुरी
- 2 श्रीमति कलावती पत्नी कैलाशनारायाण  
निवासी कनोरा जिला भिण्ड
- 3 श्रीमति रजनी पत्नी अवधेश किरार  
निवासी कोर्ट रोड शिवपुरी
- 4 श्रीमति सरबदी पत्नी रामकुमार वर्मा  
निवासी रातौर जिला शिवपुरी
- 5 रतन लाल पुत्र नामालूम  
पोहरी जिला शिवपुरी

.....रेस्पॉण्डेंटस

श्री राजेश्वर  
द्वारा आज दि. 23-2-17 को  
प्रस्तुत

(2/10/17)

राजस्व मण्डल, ग्वालियर

3

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निग0 729-दो/17


जिला - शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-10-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन एवं अनावेदक क्रमांक-1 म0प्र0 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को प्रकरण की ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्रकरण क. 151/13-14/स्व0 निग0 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2. आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि 10 वर्ष उपरांत भूमि का विक्रय किए जाने पर अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इस संबंध में उनके द्वारा राजस्व मंडल के कुछ न्यायदृष्टांतों का उल्लेख किया गया है यह भी कहा गया कि वे तृतीय क्रेता हैं इस बिंदु पर अपर कलेक्टर ने विचार नहीं किया है।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टे की भूमि है, जिसका अंतरण बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के किया गया है, इस कारण अपर कलेक्टर ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार कर जो आदेश पारित किया है वह उचित है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत राजस्व मंडल के हैं जबकि अपर कलेक्टर ने जो न्यायदृष्टांत उद्धरित किये हैं वे माननीय उच्च न्यायालय के हैं। उनके द्वारा निगरानी अग्राह्य किये जाने का निवेदन किया गया है।</p> <p>4/ आवेदक एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अपर कलेक्टर के आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण शासकीय पट्टे की भूमि को बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के विक्रय के संबंध में है। अपर कलेक्टर, शिवपुरी द्वारा अपने आदेश में यह पाया है</p>	

टस



XXXIX(a)BR(H)-11

स्थान तथा दिनांक	विवरण तथा अधिन	कलेक्टर के हस्ताक्षर
	<p>कि विवादित भूमि शासकीय थी जिसका विक्रय पट्टाधारी द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के आवेदकों को किया गया है। संहिता की धारा 185-7 (ख) के अनुसार प्राप्त भूमि को बिना कलेक्टर की पूर्वानुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 250 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) 158(3) तथा 185(7) (ख) - धारा 158 (3) के अधीन भूमि का अंतरण - धारा 185 (7) (ख) के उपबंधों के अधीन है अर्थात् कलेक्टर की अनुज्ञा आज्ञापक है। यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है। न्यायदृष्टांत 2009 आर0एन0 187 जो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय पर आधारित है में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 185 (7) (ख), 158 (3) तथा 110 शासकीय भूमि पट्टे पर प्राप्त की गई। 10 वर्ष उपरांत पट्टेदार भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये, तब भी ऐसी भूमि का अंतरण जिलाधीश की अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता है। यदि अनुमति के बिना विक्रय किया भी गया, वह समस्त संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य एवं अकृत है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p> प्रशा. सदस्य</p>